कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

क्रमांक 372 /एन.एच.एम/2019/ भोपाल दिनांक 28/9/2019

//–आदेश–//

प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उन पर आश्रित सदस्यों को राज्य के बाहर उपचार कराने हेतु एवं जनहित में स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने की दृष्टि से निजी अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने के संबंध में संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की बेवसाइट www.medicaleducation.mp.gov.in पर विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन पत्र आंमंत्रित किये जाते है।

2 ऐसे सभी निजी चिकित्सा संस्थान जो एन.ए.बी.एच. [National Accreditation Board for Hospitals and Health care Providers] फाइनल लेवल प्रमाण पत्र धारित होंगे,उन संस्थाओं को प्रदेश के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के उपचार संबंधी मान्यता हेतु सी.जी.एच.एस. की अनुमोदित दरों पर उपचार करना अनिवार्य होगा ।

3 प्रदेश के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के उपचार हेतु राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सालयों को एन.ए.बी.एच.[National Accreditation Board for Hospitals and Health care Providers] फाइनल लेवल प्रमाण पत्र की निर्धारित तीन वर्ष की मान्यता अवधि के उपरांत नवीनीकरण न कराये जाने की दशा में चकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की गई मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।

4 इस हेतु राज्य के बाहर स्थित इच्छुक संस्था/चिकित्सालयों को सूचित किया जाता है कि प्रदेश के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के उपचार हेतु चिकित्सालयों की मान्यता के संबंध में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक चिकित्सा शिक्षा विभाग की ईमेल www.dme12001@yahoo.com या डाक द्वारा कार्यालय के पते पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है ।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

पृ.क्रमांक 373-74 /एन.एच.एम/2019/ भोपाल दिनांक / /2019

प्रतिलिपि

1 प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय ।

2 संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल ।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा